न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 104/2019 (78/2017)
GCMS NO. : 2017/00017

-:: प्रार्थी ::-	बनाम	-:: अप्रार्थीगण ::-
1. धर्मपुरी पुत्र कुन्दनपुरी जाति- गोस्वामी, निवासी- ग्राम आगेवा, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0।		1. गिरधारीपुरी पुत्र बालुपुरी 2. मंगलपुरी पुत्र बालुपुरी 3. लक्षमणपुरी पुत्र बालुपुरी जातियान- गोस्वामी, निवासीगण- ग्राम आगेवा, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0। 4. उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण तहसील कार्यालय जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 24/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र कुमार गुर्रा, अधिवक्ता, प्रार्थी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 26/08/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनवान भीकापुरी वगैरा बनाम भंवरीपुरी वगैरा से श्रीमान् के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें सायल व गैरसायलान पक्षकार है। सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज (वर्तमान भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आगेवा) तहसील जैतारण में सायलान व गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 230 खसरा संख्या 94 रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा, खाता संख्या 24 खसरा संख्या 108 रकबा 18 बीघा, खाता संख्या 340 खसरा संख्या 285 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा, खाता संख्या 341 खसरा संख्या 110 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 405 खसरा संख्या 120 रकबा 12 बीघा, खाता संख्या 406 खसरा संख्या 105 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा सभी किस्म बारानी दोयम आई हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस, पत्थरगढी करके मुड्डे रोपकर कानूनी बंटवाडा नहीं हो रखा है तथा आपसी सम[illegible] से मौके पर अलग-अलग हिस्सा करके सायलान व गैरसायलान काश्त व काश्त मुतालिक त[illegible] शांतिपूर्वक लगातार करते आ रहे है। इस वर्ष भी सायलान ने [illegible]रा की फ[illegible] बोई। नकल राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की प्रार्थनापत्र के साथ पेश [illegible] हाल ही में य[illegible] हुआ है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

गैरसायल गिरधारीपुरी, मंगलपुरी व लक्षमणपुरी बिना कृषि भूमि का कानूनी बंटवाडा कराये बाले–बाले वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान अन्य व्यक्तियों को करने पर आमादा है तब सायलान ने गैरसायलान को दिनांक 07–07–16 को कहा कि पहले समस्त खसरो की कृषि भूमि का सीमाकंन व कानूनी बंटवाडा करा लो ताकि सबके अलग–अलग हिस्से और खाते दर्ज हो जायेगे तो गैरसायलान ने बंटवाडा कराने से इंकार कर दिया और उल्टे सायलान को धमकी दी कि कृषि भूमि का बेचान करके वे खरीदकर्ता का कब्जा सायलान की जमीन पर जबरन करवा देंगे। कानून का यह प्रावधान है कि जब तक वादग्रस्त कृषि भूमि का कानूनी बंटवाडा नही हो जाता भूमि के प्रत्येक इंच भूमि पर सभी खातेदार, काश्तकारों का बराबर–बराबर हक, हिस्सा होकर कब्जा होता है। इसलिये भी गैरसायलान को वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा करवाये बगैर भूमि को बेचान, हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। गैरसायलान ने बाले–बाले गुपचुप रूप से वादग्रस्त कृषि भूमि का अन्य व्यक्ति को बेचान करके सायलान के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करवा दिया तथा सायलान् को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया तो सायलान को अपने खातेदारी, काश्तकारी साम्पतिक व कानूनी अधिकारो से वंचित होना पडेगा तथा सायलान को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत मे संभव नही हो सकेगी। तथ्यो, परिस्थितियो दस्तावेजात व मौके पर लगातार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की रूह से सायलान का बहुत ही मजबूत मामला प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रत्येक दृष्टिकोण से सायलान् के पक्ष में है। अतः प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेशकर निवेदन है कि अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान इस आशय की जारी फरमावे कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित वादग्रस्त भूमि का गैरसायलान बेचान हस्तान्तरण, रहन, गिरवी, वसीयत, दान आदि किसी अन्य व्यक्ति को नही करे, न कोई दस्तावेज तकमील कर पंजीयन करावे तथा गैरसायल संख्या 3 उपपंजीयन अधिकारी गैरसायलान् द्वारा प्रस्तुत ऐसे किसी दस्तावेज के पेश होने पर उसका पंजीयन नही करे तथा गैरसायलान सायलान के हक हिस्से की कृषि भूमि में से उनको जबरन बेदखल कर कब्जा नही करे एवं सायलान् अपनी भूमि मे काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे उसमे गैरसायलान किसी तरह की रोकटोक दयखलन्दाजी, अडचन, व्यवधान बाधा न तो स्वयं करे न परिवार के सदस्यो, रिश्तेदारो, नौकरो, हाली एजेन्ट आदि से करवावे मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावें। उपरोक्त आशय का आदेश बहक सायलान् विरुद्ध गैरसायलान् पारित फरमावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान बावजूद नोटिसेज तामिल/सूचना व बार–बार आवाजें दिलाई जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध इस पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील प्रार्थी बरजिये प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2069–2072 ग्राम आगेवा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 230 खसरा संख्या 94 रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा, खाता संख्या 24 खसरा संख्या 108 रकबा 18 बीघा, खाता संख्या 340 खसरा संख्या 285 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा, खाता संख्या 341 खसरा संख्या 110 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 405 खसरा संख्या 120 रकबा 12 बीघा, खाता संख्या 406 खसरा संख्या 105 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा सभी किस्म बारानी दोयम संयुक्त खातेदारी भूमि है। सायल/प्रार्थी ने यह कथन किया कि गैरसायल गिरधारीपुरी, मंगलपुरी व लक्ष्मणपुरी बिना कृषि भूमि का कानूनी बंटवाडा कराये बाले–बाले वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान अन्य व्यक्तियों को करने पर आमादा है। संयुक्त सामलाती आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक हिस्से पर समान हक–अधिकार निहित होता है। एक सह–खातेदार द्वारा सामलाती आराजी के विधिवत् विभाजन से पूर्व विशिष्ट भू–भाग के हस्तांतरण से अन्य सह–खातेदारों के हित निश्चित ही प्रभावित होंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है साथ ही सामलाती आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का अपने हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है साथ ही यदि गैरसायलान के द्वारा सामलाती आराजी के विशिष्ट भू–भाग का हस्तांतरण किया जाता है तो निश्चित ही प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जबकि सामलाती, संयुक्त आराजी के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सह–खातेदार का समान हक–अधिकार निहित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र [illegible] आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान यथा [illegible] संख्या 1 से 3 को वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

आराजी के विशिष्ट भू-भाग का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना विधि-संगत एवं उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान यथा सायल एवं गैरसायल संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू अभिलेख क्षैत्र आगेवा तहसील-जैतारण जिला-पाली (राजस्थान) में स्थित खाता संख्या 230 खसरा संख्या 94 रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा, खाता संख्या 24 खसरा संख्या 108 रकबा 18 बीघा, खाता संख्या 340 खसरा संख्या 285 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा, खाता संख्या 341 खसरा संख्या 110 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 405 खसरा संख्या 120 रकबा 12 बीघा, खाता संख्या 406 खसरा संख्या 105 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा सभी किस्म बारानी दोयम के विशिष्ट भू-भाग का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 26/08/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:43 IST
Reason: SelfAttested